पटना में दिनांक–15 अक्टूबर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	कृषि विभाग		
1.	एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेंन्ट प्रोग्राम के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी०एम०यू०) में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट के एक पद के सृजन की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)		
2.	मंडल कारा, जमुई अंतर्गत फेज–2 में किये जानेवाले निर्माण कार्यों के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा Vetted राशि ₹ 10,74,64,000/–(दस करोड़ चौहत्तर लाख चौंसठ हजार मात्र) पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा मंडल कारा, अररिया अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये भवन निर्माण विभाग द्वारा Vetted प्राक्कलन राशि ₹48,59,96,440/–(अड़तालीस करोड़ उनसठ लाख छियानवें हजार चार सौ चालीस मात्र) पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
3.	वित्त विभागीय संकल्प सं०–6394, दिनांक–23.10.1987 में कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु निर्धारित Cut off date को संशोधित करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	वित्त विभाग		
4.	लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप सं० 1344, दिनांक–04.02.1949 द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में निर्गत परिपत्र को निरस्त करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	शिक्षा विभाग		
5.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या–12591/2010 में पारित न्यायादेश के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री एस०बी० सिन्हा की अध्यक्षता में गठित कमीशन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

6.	बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–5 'गृह विभाग' के अधीन उप शीर्षक (ख) में उल्लिखित शब्द "कारा" शब्द "कारा एवं सुधार सेवाएँ" तथा उसके अधीन क्रमांक–26 में उल्लिखित शब्द "कारा निदेशालय तथा महानिरीक्षक, कारा" शब्द "महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

7.	पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के अन्तर्गत मेहसी थानान्तर्गत विष्णुपुर बसंत गाँव के जय बजरंग चौक पर एक पुलिस चौकी की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु कुल 18 (अठारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

8.	बिहार राज्य में वर्त्तमान में धारित बिहार अग्निशाम सेवा विधेयक वर्ष 1948 के स्थान पर नया कानून लाने हेतु "बिहार अग्निशाम सेवा विधेयक–2013" (Bihar fire Service Bill-2013) के प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल अंचल के मौजा–मरीचा, थाना नं०–114, खाता सं०–208, खेसरा सं०–876 एवं 880 रकबा–क्रमशः 0.38 एकड़ एवं 0.62 एकड़ कुल 1.00 (एक) एकड़ अनाबाद बिहार सरकार भूमि का आरसेटी (रूरल सेल्फ इम्पलायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट) सुपौल की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण।	9.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10.	राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु "बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली 2013" की स्वीकृति।	10.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

11.	अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहायक अनुदान–वेतन मद में रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति देने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

12.	अविर्निमित तम्बाकू (खैनी) को कर से विमुक्त किये जाने के संबंध में।	12.	स्वीकृत।